न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, दूदाराम R.A.S

राजस्व वाद पत्र संख्या – 67/2015

वादीया :-

श्रीमती जिमलीदेवी पत्नि स्व. श्री मंगलाराम जाति विश्नोई निवासी तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. रतनाराम पुत्र श्री लालाराम
2. चिमनाराम पुत्र श्री लालाराम
3. शिवलाल पुत्र श्री लालाराम
4. संग्रामसिंह पुत्र श्री माणाराम
5. सुभाष पुत्र श्री माणाराम
6. श्रवणकुमार पुत्र श्री माणाराम
7. बालकी पत्नि श्री माणाराम
8. समुडी पत्नि श्री शिवराम
9. श्यामलाल पुत्र श्री मंगलाराम
10. पपुदेवी पुत्री श्री मंगलाराम
11. बेबीदेवी पुत्री श्री मंगलाराम
12. सेणी देवी पुत्री श्री मंगलाराम
13. दुर्गाराम पुत्र श्री मोतीराम
14. देवीलाल पुत्र श्री दौलाराम
15. पेमाराम पुत्र श्री मांगीलाल
16. हुक्माराम पुत्र श्री मांगीलाल
17. बबुलाल पुत्र श्री मांगीलाल
18. मालाराम पुत्र श्री मांगीलाल
19. सहीराम पुत्र श्री मांगीलाल
20. गवरी पत्नि श्री मांगीलाल
    सभी जातियान विश्नोई सभी निवासीयान तिलवासनी तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर
21. भूमिधारी जरीये तहसीलदार, जोधपुर।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता –

श्री बक्तावर सिंह जाखड वादीगण की ओर से
श्री संग्रामसिंह चौहान प्रतिवादीगण की ओर से
श्री रामकिशोर सांखला प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 15.11.2021

1. वादीया ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत पेश कर मौजा तिलवासनी के खाता सं. 249, 319, 318, 317 की संयुक्त आराजी को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाडा कर कब्जा काश्त अनुसार पृथक तरमीम हेतु निवेदन किया। वादी प्रतिवादी का पक्ष सुना जाकर निम्न तनकीयात् कायम की गई

2. 1. आया वादिनी ग्राम तिलवासनी की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त आराजी जो कि खाता सं. 249 में 1/10 हिस्सा, खाता सं. 319 में 1/5 हिस्सा, खाता सं 318 में 1/10 हिस्सा, खाता सं. 317 में 1/10 हिस्सा का वादिनी व प्रतिवादी सं0 9 से 12 के साथ

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

संयुक्त रूप से माप व सीमांकन से बंटवाड़ा करवाने का अधिकारी है।

(जिम्मे – वादीनी)

2. आया वादीनी विरूद्ध प्रतिवादीगण अपने व प्रतिवादी सं 9 से 12 के साथ बंट में प्राप्तसुदा आराजी में अन्य प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारीणी है।

(जिम्मे – वादीनी)

3. आया प्रतिवादी सं 1, 8, 16 वादग्रस्त आराजी का प्रत्येक खसरा का माप एवं सीमांकन के अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे – प्रतिवादी सं. 1,8,16)

4. आया प्रतिवादी सं. 2 से 7 व 9 से 14 वादग्रस्त आराजी का काबिज अनुसार बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी है।

(जिम्मे – प्रतिवादी सं. 2 से 7, व 9 से 14)

3. उक्तानुसार वादी का पत्र स्वीकार योग्य होने पर निर्णय दिनांक 30.06.2021 द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार पीपाड़ शहर को पत्रांक वादकरण/2021/6811 दिनांक 09.07.2021 को प्राथमिक डिक्री की पालना रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु तहरीर जारी की गई जिस पर तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा प्राथमिक डिक्री पालना रिपोर्ट मय बंटवाड़ा प्रस्ताव, मौका रिपोर्ट नक्शा ट्रेस व जमाबन्दी की प्रतियां दिनांक 29.07.2021 की जिसके पैरा सं. 03 के अनुसार निम्न प्रकार से बंटवाड़ा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।

4.

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा (बीघा)	किस्म	लगान	वि.वि.	कलर
1	चिमनाराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	79	11.01	बारानी द्वितीय	–	सालम नम्बर	लाल
		171	10.01	बारानी प्रथम	–	पूर्व की तरफ मध्य में	लाल
		कुल 2	21.02	–	–	–	–
2	संग्रामसिंह पुत्र भाणाराम 1/4, सुभाष पुत्र भाणाराम 1/4, श्रवणकुमार पुत्र भाणाराम 1/4, बालकी पत्नि भाणाराम 1/4 जाति विश्नोई सा देह खातेदार	162	12.16	बारानी प्रथम	–	पश्चिम की तरफ	पीला
		163	7.05	बारानी प्रथम	–	उत्तर की तरफ	पीला
		कुल 2	20.01	–	–	–	–
3	श्यामलाल पुत्र मंगलाराम 1/5, पूपदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5, बेबीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5, सेणीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5, जिमलीदेवी पत्नि मंगलाराम 1/5 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	327	13.17	बारानी द्वितीय	–	सालम नम्बर	हरा
		कुल 1	13.17	–	–		
4	शिवलाल पुत्र लालाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	172	14.12	बारानी प्रथम	–	रास्ते को छोड़कर पूरा	तोता
		कुल 1	14.12	–	–	–	

उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

	जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	170	9.02	बारानी प्रथम	–	दक्षिण से पश्चिम में	आसमान
6	समूडी पत्नि शिवराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	170	9.00	बारानी प्रथम	–	दक्षिण पूर्व में	नांरगी
7	दुर्गाराम पुत्र मोतीराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	170	10.02	बारानी प्रथम	–	उत्तर पश्चिम में	गुलाबी
		170	8.00	बारानी प्रथम	–	उत्तर पूर्व में	गुलाबी
		162	6.08	बारानी प्रथम	–	दक्षिण पूर्व में	गुलाबी
		कुल 3	24.10	–	–	–	
8	देवीलाल पुत्र दौलाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	162	6.08	बारानी प्रथम	–	2 मार्ग के पास उत्तर पूर्व में	लाईट पीला
		122	13.02	बारानी प्रथम	–	सालम नम्बर	लाईट पीला
		कुल 2	19.10	–	–	–	
9	संग्रामसिंह पुत्र भाणाराम 1/8, सुभाष पुत्र भाणाराम 1/8, श्रवणकुमार पुत्र भाणाराम 1/8, बालकीदेवी पत्नि भाणाराम 1/8, देवीलाल पुत्र दौलाराम 1/4, दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 1/4, जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	162	1.03	बारानी प्रथम	–	उत्तर की तरफ रास्ता हेतु	आसमानी
		163	0.05	बारानी प्रथम	–	दक्षिण की तरफ रास्ता हेतु	आसमानी
		कुल 2	1.08	–	–		
10	दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 1/2, रतनाराम पुत्र लालाराम 1/4, समुडी पत्नि शिवराम 1/4, जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	170	0.11	बारानी प्रथम	–	रास्ता हेतु मध्य से मध्य तक	आसमानी
11	चिमनाराम पुत्र लालाराम 1/4, शिवलाल पुत्र लालाराम 1/4, देवीलाल पुत्र दौलाराम 1/4, दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 1/4, जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	171	0.09	बारानी प्रथम	–	पूर्व की तरफ रास्ता हेतु	आसमानी
		172	0.06	बारानी प्रथम	--	पूर्व की तरफ रास्ता हेतु	आसमानी
		कुल 2	0.15				
12	दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 1/2, देवीलाल पुत्र दौलाराम 1/2 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	5.10	बारानी प्रथम	–	दक्षिण पूर्व में	मैरून
13	दुर्गाराम पुत्र मोतीराम 1/4, देवीलाल पुत्र दौलाराम 1/4, बालकी देवी पत्नि भाणाराम 1/32, संग्राम सिंह पुत्र भाणाराम 1/32, सुभाष पुत्र भाणाराम 1/32, श्रवणकुमार पुत्र भाणाराम 1/32, जिमली देवी पत्नि मंगलाराम 1/60, श्यामलाल पुत्र मंगलाराम 1/60, पपूदेवी पुत्री मंगलाराम 1/60, बेबीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/60, सेणीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/60, शिवलाल पुत्र लालाराम 1/12, समुडी पत्नि शिवराम 1/12, चिमनाराम पुत्र लालाराम 1/8 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	0.06	बारानी प्रथम	–	पश्चिम की तरफ मध्य तक रास्ता हेतु	आसमानी
		कुल 1	0.06				
14	बालकी देवी पत्नि भाणाराम 1/4, संग्राम सिंह पुत्र भाणाराम 1/4, सुभाष पुत्र भाणाराम 1/4, श्रवणकुमार पुत्र भाणाराम 1/4 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	1.05. 10	बारानी प्रथम	–	उत्तर पश्चिम में	पीला
15	चिमनाराम पुत्र लालाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	1.05. 10	बारानी प्रथम	--	उत्तर पूर्व में	लाल

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी (जोधपुर)

16	शिवलाल पुत्र लालाराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	0.17.00	बारानी प्रथम	–	रास्ते के पास पश्चिम में	तोता
17	जिमली देवी पत्नि मंगलाराम 1/5, श्यामलाल पुत्र मंगलाराम 1/5, पपूदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5, बेबीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5, सेणीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/5 जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	0.17.00	बारानी प्रथम	–	मध्य के रास्ते पास	हरा
18	समूड़ी पत्नि शिवराम जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	0.17.00	बारानी प्रथम	–	मध्य मे पूर्व की तरफ रास्ते से दक्षिण मे	नारंगी
19	चिमनाराम पुत्र लालाराम1/4, बालकीदेवी पत्नि भाणाराम 1/16, संग्रामसिंह पुत्र भाणाराम 1/16, सुभाष पुत्र भाणाराम 1/16, श्रवणकुमार पुत्र भाणाराम 1/16, जिमलीदेवी पत्नि मंगलाराम 1/30, श्यामलाल पुत्र मंगलाराम 1/30, पपूदेवी पुत्री मंगलाराम 1/30, बेबीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/30, सेणीदेवी पुत्री मंगलाराम 1/30, शिवलाल पुत्र लालाराम 1/6, समूडी पत्नि शिवराम 1/6, जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	21	0.08.00	बारानी प्रथम	–	रास्ता हेतु पश्चिम व मध्य मे से	आसमानी
20	हुक्माराम पुत्र मांगीलाल 1/7, पेमाराम पुत्र मांगीलाल 1/7, बाबूलाल पुत्र मांगीलाल 1/7, मालाराम पुत्र मांगीलाल 1/7, सहीराम पुत्र मांगीलाल 1/7, मोहनी पुत्री मांगीलाल 1/7, समूडी पुत्री मांगीलाल 1/7, जाति विश्नोई सा. देह खातेदार	171	10.02	बारानी प्रथम	–	पश्चिम की तरफ	कबुतरीया

नोट :– खसरा नम्बर 20 रकबा 0.03 बीघा किस्म गै.मु.बेरा संयुक्त खातेदारी बदस्तुर रहेगा।

5. तहसीलदार पीपाड़ शहर से प्राप्त बंटवाड़ा प्रस्ताव मय मौका रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस, जमाबन्दी प्रतियां शामिल पत्रावली कर पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 21.10.2021 प्रशासन गांवो के संग कैम्प तिलवासनी में रखी गई । बहस वकुलाय सुनी गई । वकील वादी प्रतिवादी ने तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव को स्वीकार कर मौके पर कब्जे काश्त अनुसार रास्ता की भूमि शामलाती रखते हुए हक हिस्सानुसार पृथक् पृथक तरमीम कर खातेदारी अधिकारो की घोषणा करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने पर सहमति प्रदान की जिस पर सुना गया । पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन अवलोकन किया गया । प्राथमिक डिकी, गवाहो के बयानात्, पत्रावली पर मौजुद दस्तावेजात्, बंटवाड़ा प्रस्ताव एवं वकील उभय पक्षो की सहमति होने पर तहसीलदार द्वारा पेश बंटवाड़ा प्रस्ताव (मौका कमिश्नर रिपोर्ट) के पैरा सं. 03 के अनुसार वादीनी का वाद पत्र काबिल स्वीकार होने से स्वीकार किया जाता है ।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

आदेश

उपयुर्क्त विवेचनोपरांत एतद् द्वारा आदेशित किया जाता है कि मौजा तिलवासनी के खसरा नम्बर 122, 327, 79, 163, 172, 21, 162, 170, 171 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार निर्धारित हक हिस्सानुसार विभाजित किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव (मौका कमिश्नर रिपोर्ट) इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा । तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हों । बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 3 के अनुसार वादी प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी घोषणा की जाती है तथा उभयपक्षकारान् एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी ना तो स्वयं करें, ना अन्य किसी से करावे इस आशय की अमर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तदनुसार डिकी पर्चा जारी होकर मुर्तिब हो । पक्षकारान खर्चा अपना अपना वहन करें ।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मजमे आज सुनाया गया ।

(दूराराम)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर (जोधपुर)

डिक्री ब मुकदमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix D & 1)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीपाड़ शहर

इजलास **दूदाराम R.A.S.**

श्रीमती जिमली बनाम रतनाराम वगैरा

दावा बाबत **53, 188 आर टी एक्ट**

राजस्व मूल वाद संख्या **67/2015**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू व वकुलाय हाजरी वकील **बक्तावरसिंह जाखड़** मनजानिब मुदई वकील **रामकिशोर सांखला, संग्रामसिंह चौहान** मनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीनी का **मौजा तिलवासनी के खसरा नम्बर 122, 327, 79, 163, 172, 21, 162, 170, 171 को तहसीलदार पीपाड़ शहर के बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 03 के अनुसार निर्धारित हक हिस्सानुसार विभाजित किया जाता है । तहसीलदार पीपाड़ शहर द्वारा पेश विभाजन प्रस्ताव (मौका कमिश्नर रिपोर्ट) द्वारा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा । तहसीलदार पीपाड़ शहर राजस्व करेां में अमल दरामद कर पालना से अवगत करावें । तहसीलदार पीपाड़ शहर को पालना हेतु तहरीर जारी हों । बंटवाड़ा प्रस्ताव के पैरा सं. 3 के अनुसार वादी प्रतिवादीगण के नाम की खातेदारी घोषणा की जाती है तथा उभयपक्षकारान् एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखंलदाजी ना तो स्वयं करें, ना अन्य किसी से करावे इस आश्य की अमर स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तदनुसार डिक्री पर्चा जारी होकर मुर्तिब हो । पक्षंकारान खर्चा अपना अपना वहन करें ।**

लीज ....शून्य ....मुवलिक ....शून्य............ बाबत ....शून्य............ खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरद.............................शून्य.................................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक..............शून्य..................को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 15.11.2021 को जारी की गई।

दस्तखत.............
ओहदा.................

मुहर

मुदई	रूपया	पै.	मुदायला	रूपया	पै.
स्टाम्प अरजोदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.........			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुकमनामा मुतफर्रिक मीजान.......		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर फरीकन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें।